कार्यालय कुल सचिव
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संख्या : प्रोरासिविवि/कुसका/2021–241
दिनांक 14 अगस्त, 2021

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उ0प्र0।

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2021–2022 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2021–22 से विभिन्न पाठ्यक्रम के संचालन, परीक्षा आदि विषयों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सामान्य दिशा–निर्देश संलग्न कर आवश्यक अनुपालन एवं कार्यवाही हेतु एवं इनसे विद्यार्थियों को परिचित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं।

2– उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन के प्रक्रम में यदि किसी प्रकार की संशय/दुविधा की स्थिति हो तो उसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

Sshukla
(एस0के0 शुक्ल) 14.8.2021
कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
4. समस्त अधिष्ठातागण, प्रो0 राजेन्द्र सिह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, प्रो0 राजेन्द्र सिह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. निजी सचिव कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

Sshukla
(एस0के0 शुक्ल) 14.8.2021
कुल सचिव।

Scanned by CamScanner

सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों हेतु दिशानिर्देश

"उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2021-2022 से लागू करने हेतु सामान्य दिशानिर्देश"

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 तथा इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को संपन्न विद्या-परिषद की बैठक की जारी की गयी कार्यवृत्त के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में सामान्य दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भविष्य में इन दिशानिर्देशों का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है।

1. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर यह दिशानिर्देश लागू होंगे तथा समस्त महाविद्यालयों को इन सभी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

2. NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगे। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों मे सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे।

3. NEP-2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र 2021-2022 से सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित होंगे।

4. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के आधार पर शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्नातक स्तर के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृपया केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें।

5. वर्तमान में स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति पर संचालित बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी०, बी०लिब० एवं अन्य का अध्यापन एवं परीक्षा पूर्ववत वार्षिक पद्धति पर ही होगा, जबकि वर्तमान में सेमेस्टर पद्धति पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्यापन एवं परीक्षा पूर्ववत सेमेस्टर पद्धति में ही होगा।

Scanned by CamScanner

6. प्रवेश एवं विषय चयन :-

- सर्वप्रथम विद्यार्थी महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा।
- महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देंगे।
- विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है (सन्दर्भ-सलंग्नक-1)।
- इसके उपरान्त विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष हेतु प्रतिवर्ष एक माइनर/इलेक्टिव विषय किसी दूसरे विभाग/संकाय से लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा (सन्दर्भ -संलग्नक-1, विस्तृत विवरण-बिन्दु-11)।
- प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष में दो सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular) विषय अथवा प्रति सेमेस्टर एक विषय लेना होगा। (सन्दर्भ-संलग्नक-1, विस्तृत विवरण-बिन्दु-14)।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष हेतु प्रत्येक वर्ष में दो रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा प्रति सेमेस्टर एक पाठ्यक्रम लेना होगा (सन्दर्भ-संलग्नक-1, विस्तृत विवरण-बिन्दु-15)।

7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :-

- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टीफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा। किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा
- पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

8. संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की अवधि :-

- विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Scanned by CamScanner

- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष मे किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन की उपाधि दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें :-

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं (SWAYAM, MOOCs) से यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑलनाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव विषयों पर ही लागू होगी।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

10. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रबंधन एवं कृषि संकायों पर लागू होंगी। तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा :-

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए **46 क्रेडिट** संचित के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ - संलग्नक-1)।
- द्वितीय वर्ष तक **92 क्रेडिट** संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा (सन्दर्भ - संलग्नक-1)।
- तृतीय वर्ष तक **132 क्रेडिट** संचित के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ - संलग्नक-1)।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के आलोक में उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से स्वीकृत किया जा चुका है तथा उसका अनुमोदन विद्यापरिषद के द्वारा भी किया जा चुका है और सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अधिकतम छः वर्ष तक पुनः प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की व्यवस्था होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने पर किसी भी अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

11. माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन -

- माइनर/इलैक्टिव कोर्स किसी भी मुख्य विषय का एक प्रश्न पत्र होगा।
- माइनर/इलैक्टिव प्रश्न पत्र छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। इसके लिए किसी भी पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होगी।
- बहुविषयक्ता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर/इलैक्टिव प्रश्न पत्र सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- विद्यार्थी को स्नातक के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर/इलैक्टिव विषय (एक माइनर प्रश्न पत्र /प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के प्रश्न पत्र को आवंटित कर सकता है। तृतीय वर्ष में माइनर/इलैक्टिव प्रश्न पत्र अनिवार्य नहीं है।
- विद्यार्थी अपनी सुविधा से सत्र में उपलब्ध प्रश्नपत्रों में से कोई एक माइनर/इलैक्टिव प्रश्न पत्र के रूप में चुनाव कर सकता है।
- **माइनर इलैक्टिव प्रश्न पत्र का चुनाव संस्थान में संचालित मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर प्रश्न पत्र की कक्षायें संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।**

12. स्नातक प्रथम सेमेस्टर/ प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए पूर्व पात्रता -

- विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।

Scanned by CamScanner

- व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।

13. समस्त पाठ्यक्रमों हेतु विषय-संयोजन -

- स्नातक प्रथम वर्ष/ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के सन्दर्भ में विषय-संयोजन (Subject Combination) की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

14. अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) -

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम वर्ष के अनुसार निम्नवत होगा :-

अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम				
वार्षिक प्रणाली हेतु	1.	प्रथम वर्ष	1.	भोजन, पोषण और स्वच्छता
			2.	प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
	2.	द्वितीय वर्ष	3.	मानव मूल्यों और पर्यावरण अध्ययन
			4.	शारीरिक शिक्षा और योग
	3.	तृतीय वर्ष	5.	विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता
			6.	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम				
सेमेस्टर प्रणाली हेतु	1.	प्रथम सेमेस्टर	1.	भोजन, पोषण और स्वच्छता
		द्वितीय सेमेस्टर	2.	प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
	2.	तृतीय सेमेस्टर	3.	मानव मूल्यों और पर्यावरण अध्ययन
		चतुर्थ सेमेस्टर	4.	शारीरिक शिक्षा और योग
	3.	पंचम् सेमेस्टर	5.	विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता
		षष्ठम् सेमेस्टर	6.	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

Scanned by CamScanner

15. कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रम :-

- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों के स्तर पर उच्च-शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

- कौशल-विकास/रोजगार-परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0 अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते हैं। हस्ताक्षरित अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी।

- शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल-विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में

  Mou (अनुबन्ध पत्र) हस्ताक्षरित करें, जिसमें प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।

- चूंकि कौशल-विकास (Skill Development)/वोकेशनल प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है अतः महाविद्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन के आंकलन के उपरान्त कौशलविकास से सम्बंधित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-profit-no-loss के आधार पर अपने स्तर से करें।

- यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट-सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल-विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु व्यावसायिक कार्यक्रमों की सन्दर्भ सूची निम्नवत नियमानुसार दी जा रही है :-

वार्षिक प्रणाली हेतु	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु (विद्यार्थी स्वयं कोई दो का चयन करें)	स्नातक द्वितीय वर्ष हेतु (विद्यार्थी स्वयं कोई दो का चयन करें)
	1. बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	1. बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
	2. बागवानी	2. ऊर्जा प्रबन्धन
	3. खाद्य प्रसंस्करण	3. मृदा एवं जल संरक्षण
	4. मत्स्य पालन	4. पत्रकारिता एवं जनसंचार

Scanned by CamScanner

सेमेस्टर प्रणाली हेतु	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु (प्रत्येक सेमेस्टर में किसी एक का चयन करें)		स्नातक द्वितीय वर्ष हेतु (प्रत्येक सेमेस्टर में किसी एक का चयन करें)	
	प्रथम सेमेस्टर	1. बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	तृतीय सेमेस्टर	1. बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
		2. बागवानी		2. ऊर्जा प्रबन्धन
	द्वितीय सेमेस्टर	1. खाद्य प्रसंस्करण	चतुर्थ सेमेस्टर	1. मृदा एवं जल संरक्षण
		2. मत्स्य पालन		2. पत्रकारिता एवं जनसंचार

- उपर्यक्त सारणी के अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची पृथक से संलग्न हैं। (संलग्नक-2)
- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय समयानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे।
- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण सामग्री (Study/Traning Material) की उपलब्धता महाविद्यालय अपने स्तर से करेंगे।

16. क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली :-

- समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी और सैद्धांतिक विषयों हेतु एक क्रेडिट एक घंटे के अध्यापन के बराबर होगा जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु एक क्रेडिट दो घंटे के अध्यापन के बराबर होगा।
- मुख्य एवं गौण विषयों के प्रश्न पत्र 4/5/6 क्रेडिट के होंगे, जबकि व्यावसायिक विषयों के प्रश्न पत्र 3 क्रेडिट के होंगे। सह-पाठ्यक्रमों एवं शोध परियोजना में कोई क्रेडिट नहीं होगा।
- 6 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्रमें न्यूनतम 90 घंटे की होगी। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घंटे, 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्रमें न्यूनतम 60 घंटे, 3 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 45 घंटे तथा 2 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्रमें न्यूनतम 30 घंटे की होगी।

Scanned by CamScanner

- स्नातक पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी जो निम्नवत है :-

लेटर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंको की सीमा
O	10	Outstanding	90-100
A^+	9	Excellent	80-89
A	8	Very good	70-79
B^+	7	Good	60-69
B	6	Above Average	50-59
C	5	Average	40-49
P	4	Pass	35-39
F	0	Fail	0-34
AB	0	Absent	Absent

- SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत जाएगी :

SGPA (Si) =$\sum$(Ci x Gi) /$\sum$Ci	यहाँ पर : Ci = the number of credits of the ith course in a semester Gi= the grade point scored by the student in the ith course.
CGPA = $\sum$(Ci x Si) / $\sum$ Ci	Si= Si is the SGPA of the ith semester Ci= the total number of credits in the ith semester.

- CGPS को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 10

- विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
प्रथम श्रेणी	6.50 से अधिक तथा 8.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
द्वितीय श्रेणी	5.00 से अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
उत्तीर्ण श्रेणी	4.00 से अधिक तथा 5.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।

Scanned by CamScanner

17. परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था -

- स्नातक स्तर में बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी०, बी०लिब० एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर वार्षिक पद्धति में संचालन हेतु निर्दिष्ट अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा एवं मूल्यांकन पूर्ववत वार्षिक पद्धति पर ही होंगी किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा पूर्व की भांति सेमेस्टर पद्धति से ही होंगी।

- सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार किये जायेंगे।

- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय परीक्षा) के आधार पर की जायेगी। आतंरिक सतत मूल्यांकन उसी शिक्षक के द्वारा किया जायेगा जो उस सत्र में उस प्रश्न पत्र का अध्यापन करा रहा है। ध्यान रहे कि जिस शिक्षक ने किसी प्रश्न पत्र का अध्यापन नहीं किया है तो वह उस प्रश्नपत्र का सतत आन्तरिक मूल्यांकन नहीं कर सकता।

- सभी विषयों की लिखित परीक्षाएं होगी जबकि अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार पर होगी।

- सह-पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा मात्र Qualifying प्रकार की होगी इसके अतिरिक्त तृतीय वर्ष में लघु शोध परियोजना भी Qualifying प्रकार की होगी।

18. विश्वविद्यालय भविष्य में उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है। विश्वविद्यालय उपर्युक्त किसी भी बिन्दु को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj
(Uttar Pradesh State University)

संलग्नक-I

स्नातक कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

YEARLY SYSTEM	SEMESTAR SYSTEM	Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	1	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	2	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	3	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	4	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	6	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		

Registrar

Scanned by CamScanner

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

संलग्नक-2

व्यवसायिक (कौशल) पाठ्यक्रम सूची

(अपनी सुविधानुसार प्रथम दो वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर हेतु किसी एक पाठ्यक्रम का चुनाव करें)

1.	मत्स्य पालन	17.	फोटोग्राफी
2.	रेशम कीट पालन	18.	वीडियोग्राफी
3.	कुक्कुट पालन	19.	खेल पोषण एवं भौतिक चिकित्सा
4.	मधुमक्खी पालन	20.	ट्रैवेल प्रबन्धन
5.	कुटीर उद्योग	21.	प्रिन्टिंग
6.	पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान	22.	प्रकाशन
7.	हस्तशिल्प	23.	ऊर्जा प्रबन्धन
8.	अचार एवं पापड़ निर्माण	24.	मृदा एवं जल संरक्षण
9.	डेयरी उत्पाद एवं प्रसंस्करण	25.	सौर्य ऊर्जा
10.	बागवानी	26.	टूरिज्म प्रबन्धन
11.	बिजली उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	27.	आतिथ्य प्रबन्धन
12.	गार्डेनिंग	28.	पत्रकरिता एवं जन संचार
13.	खाद्य प्रसंस्करण	29.	फैशन डिज़ाइन
14.	फर्नीचर विकास	30.	इंटीरियर डिज़ाइन
15.	नर्सरी प्रबन्धन	31.	हरितगृह तकनीक
16.	बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	32.	बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस

Scanned by CamScanner